

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग


अधिसूचना

राँची, दिनांक 31.1.19

संख्या-1/विविध-840/2011 खण्ड-1 का.- 992 / सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार चौबे, भा.प्र.से. (झा:1999) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में आगामी लोक सभा चुनाव, 2019 तक रहेंगे।

संख्या-1/विविध-840/2011 खण्ड-1 का.- 993 / निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित डॉ० मनीष रंजन, भा.प्र.से. (झा:2002) (अतिरिक्त प्रभार- Director of Census Operation/ Director of Citizen Registration, Jharkhand (under the Central Staffing Scheme for three years)) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में आगामी लोक सभा चुनाव, 2019 तक रहेंगे।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/विविध-840/2011 खण्ड-1 का० - 993 / राँची, दिनांक 31.1.19

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पार्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।